

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 06 / वि.स. / वाहन / 2011

रायपुर, दिनांक 24.12.2011

वाहन विक्रय हेतु निविदा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा निम्नांकित वाहनों के विक्रय हेतु सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपनी सीलबंद निविदा दिनांक 07 जनवरी, 2012 तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 11:00 बजे से 04:00 बजे तक दे सकते हैं।

क्रम	वाहन क्रमांक	प्रकार	क्रय वर्ष
1.	CG / 0102	मारुति वेन	2001
2.	CG / 0106	महिन्द्रा मार्शल	2001
3.	CG / C-0002	टाटा सफारी	2008

निविदाकर्ता को निविदा के साथ रूपये दस हजार मात्र का बैंक ड्राफ्ट "सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा" को देय संलग्न करना होगा। निविदाकर्ता विधान सभा सचिवालय में आकर वाहन का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक कर सकते हैं।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्यालयीन दिवस में वाहन शाखा से राशि रू. 100.00 में प्राप्त की जा सकती है, अथवा छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट [www. cgvidhansabha.gov.in](http://www.cgvidhansabha.gov.in) से डाउन लोड की जा सकती है । जिसका शुल्क रू. 100/- विधानसभा सचिवालय में निविदा जमा करने के पूर्व जमा करना होगा ।

निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार सचिव, विधानसभा को होगा।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

दिनांक.....

निविदा प्रपत्र

1. फर्म या व्यक्ति का नाम:—
2. पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष क्र.:—
3. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण:—
- 4.

क्रम	वाहन क्रमांक / प्रकार	बैंक का नाम	ड्राफ्ट क्र. / दिनांक	वाहन क्रय हेतु प्रस्तावित राशि
01.				रु.....(रूपये.....)
02.				रु.....(रूपये.....)
03.				रु.....(रूपये.....)

नियम व शर्तें:—

1. वाहन जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं प्रदाय भी उसी स्थिति में किया जावेगा ।
2. प्रत्येक वाहन के लिए अमानत राशि के रूप में रु. 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट "सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा" के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा मूल्य साफ सुंदर और सुस्पष्ट अंकों व शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कौटछाँट वाली निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफे में स्वीकार की जायेगी । लिफाफे पर वाहन हेतु निविदा लिखकर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर के पते पर जमा किया जायेगा।
5. अधिकतम प्रस्तावित दर एवं द्वितीय प्रस्तावित दर वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
6. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य राशि तीन दिवस के अंदर जमा करना होगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा राशि राजसात करते हुए द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को राशि जमा करने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
7. प्रदाय आदेश जारी होने के 03 दिवसों के अंदर वाहन स्वयं के व्यय से उठाना होगा तथा वाहन के पंजीकरण की कार्यवाही स्वयं के व्यय से एक सप्ताह में करानी होगी ।

.2.

8. वाहन के पंजीयन के पश्चात ही उपयोग कर सकेंगे । इस हेतु घोषणा पत्र भी वाहन उठाते समय देना होगा ।
9. भरा हुआ निविदा फार्म दिनांक 07 जनवरी, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को समस्त निविदा या किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
(निविदाकर्ता)

नाम:-

पता:-